न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 01/2024

(GCMS 2024/1)(212393301373486)

राकेश झाझड़ा पुत्र श्री कृष्ण झाझड़ा, ग्राम पोस्ट ढाबा झलार, सूरतगए जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन – 335803 (मोबाईल नं. 98570–05984)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, **अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़**

07.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। **अपीलार्थी ने कथन किया कि** उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2023 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में समस्त सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित कर की जावे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उसे निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राकेश झाझड़ा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2023 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के उपखण्ड सूरतगढ के तकनीकी कर्मचारी बरकल अली की ड्यूटी के दौरान विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के मा[illegible] दिनांक 13.05.2022 से 15.05.2022 तक [illegible] दिनांक 15.05.2022 को [illegible]कारियों के बीची समझौता वार्ता में लिये गये निर्ण[illegible] अनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) के आदेश क्रमांक न्याय/

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2022 / 75—81 दिनांक 15.05.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ की अध्यक्षता में उक्त विद्युत दुर्घटना की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट 5 दिवस में पूर्ण करके अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को अवगत कराने के निर्देश भी दिये गये थे। उक्त आदेश की अनुपालना में की गई जांच कार्यवाही का तिथिवार क्रमबद्ध संपूर्ण विवरण व विवरण से सुसंगत अभिलेख व जांच रिपोर्ट की प्रति और जांच कार्यवाही संपूर्ण पत्रावली एवं

2. इस अनुरोध पर राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित विनिश्चय, राज्य लोक सूचना अधिकारी के पदीय मुद्रांक पर दिनांक सहित राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर सम्यक रूप से अधिप्रमाणित की गई पठनीय छायाप्रतियां फुल स्केप (लीगल साईज) पेपर पर उक्त अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (1) में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत यथाशक्त सम्भव शीघ्र परन्तु अविलम्ब उपलब्ध करानें,

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक पीए / जांच / 2023—20 दिनांक 16.01.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी राकेश झाझड़ा ने आपके समक्ष एक अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत प्रस्तुत कीक है, जिसके सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र में चाही गई बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है:

1. अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय के [illegible] अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में आवेदन [illegible] के बिन्दु संख्या 1 में अंकित विद्युतकर्मी [illegible] की मृत्यु पर आन्दोलन करते हुए दिनांक 15.05.2022 को हुई समझौता वार्ता अनुसार पत्रांक 75—81 दिनांक 15.05.2022 में गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक पीए / जांच / 2023 / 1238 दिनांक 08.11.2023 से समय सीमा के भीतर सूचना साधारण डाक से अपीलार्थी के पते पर प्रेषित कर दी गई थी, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई में सूचना चाहे जाने पर स्वयं का पता एवं आवश्यक डाक टिकट साधारण / पंजीकृत डाक टिकट लगाते हुए आवश्यक प्रतिलिपि शुल्क भी आवेदन दिनांक 31.10.2023 के साथ संलग्न हीं किया था।

3. अपीलार्थी राकेश झाझडा दिनांक 15.05.2022 से कमेटी गठित किये जोन के आदेश के क्रम संख्या 5 पर अंकितानुसार जांच कमेटी का सदस्य मनोनित किया गया था, ऐसी स्थिति में जांच रिपोर्ट जांच कमेटी अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी। यदि सदस्य राकेश झाझडा को कोई आपत्ति अथवा जांव कमेटी द्वारा की जा रही जांच से असंतुष्ट था तो कार्यालय में सम्पर्क कर सकता था, परन्तु कार्यालय में इस हेतु सम्पर्क नहीं किया।

अतः अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार सूचना जो कार्यालय में उपलब्ध थी, समय सीमा में कार्यालय पत्रांक 1238 दिनांक 08.11.2023 से उपलब्ध करा दी गई थी (पत्र की प्रति संलग्न है) अपीलार्थी सू.का.अ. अधिनियम के प्रावधानों का स्वयं द्वारा अनुसरण नहीं करते हुए आवेदन किये जाने पर भी सूचना उपलब्ध कराने के पश्चात प्रस्तुत की गई अपील किसी भी प्रकार से कानूनसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाना ही उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

सूचना मय टिप्पणी संलग्न है।

-sd-
(संदीप कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक पीए/जांच/2023/1238 दिनांक 08.11.2023 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र में जो सूचनाए प्रा.पत्र के बिन्दु संख्या एक में अंकित अनुसार चाही है। पत्र क्रमांक 75—81 दिनांक 15.05.2022 के प्रामणित प्रतिलिपि दी जा रही है। प्रकरण में जांच रिपोर्ट अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई हैं। अन्य प्रकार की सूचना स्पष्ट क्रमांक दिनांक के साथ कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित आ कर निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा करवा कर प्राप्त कर सकते है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि **वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी [illegible]रीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए **अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे** सूचना **का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार अपीलार्थी से शुल्क जमा करवाकर 07 दिवस में सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(अंशदीप)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested